

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यहि पूर्व में एवं
व्यवहार हुआ हो तो यह क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्रान : जूलीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 203

दिनांक: 24/4/13.

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ग्रनक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज साडा ग्वालियर (9300801528) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. प्रथम, बी.सी.ए. प्रथम, बी.कॉर्न- प्रथम (लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.एस.-सी.- प्रथम (बायोग्रूप), अंति.विषय (कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी), बी.ए.- प्रथम (आ.पा. हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत नियमानुसार नियोजित समिति का गठन किया है :-

1. डॉ. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महाविवि.वि. परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर (संयोजक) (9406586343)
2. डॉ. बी.के. शर्मा, शा. विज्ञान महाविवि., ग्वालियर
3. डॉ. एस.कै. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर
4. डॉ. राजेन्द्र खट्टीक, उपाचार्य, वाणि. एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वालियर

नियोजित समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियोजित कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणि

क स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विरागानुसार नियोजित द्वारा 30 दिन भौम महाविद्यालय का नियोजित कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में नियोजित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय नियोजित की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के विदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का नियोजित नहीं हुआ है। विद्यानुसार अधिकारी जगा करकर बीच समिति गवित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में नियोजित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना अधिकारी को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियोजित समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की कस्तुरियत से नियोजित समिति को अवगत करायेंगे। नियोजित समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियोजित दिनांक नियमित कर महाविद्यालय का नियोजित करायें। उक्त नियोजित 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)